

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20052026-272730
SG-DL-E-20052026-272730असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]	दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 44
No. 130]	DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948	[N. C. T. D. No. 44

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 मई, 2026

फा. सं. बी/14/2026-गृ0-II/969-977-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 1 सितम्बर, 2025 अधिसूचना संख्या एसओ 3988 (ड) के साथ पठित आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 2 के खंड (द) के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त को, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में पंजीकरण अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत करते हैं, जिन्हें विदेशियों विषयक पंजीकरण अधिकारी के रूप में भी नामित किया गया है।

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रमेश कुमार, उप-सचिव (गृह-II)

HOME DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 12th May, 2026

F. No. B/14/2026-Home-II/969-977.—In pursuance of the provisions of clause (r) of section 2 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025) read with notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs, S.O. 3988 (E), dated 1st September, 2025, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorise the Deputy Commissioner of Police, Special Branch, Delhi Police, to perform the functions of the Registration Officer under the said Act, within the jurisdiction of the National Capital Territory of Delhi, who is also designated as the Foreigners Registration Officer.

This notification comes into force with effect from the date of its publication in Official Gazette.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (Home-II)